समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला गोपनीय शाखा)

मो0 सोहैल, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 30-01-2017 को विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ की गयी सोमवारीय (Monday Meeting) बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :- पंजी के अनुसार।

(2) अनुपस्थित पदाधिकारी

समीक्षा के क्रम में निम्नांकित पदाधिकारी बैठक से अनुपस्थित पाये गये :-

क्र0	संबंधित पदाधिकारी	अभ्युक्ति
1.	उप विकास आयुक्त, मधेपुरा	बैठक में भाग लेने हेतु पूर्णियाॅ गये।
2.	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, कार्यपालक दण्डाधिकारी, उदाकिशुनगंज	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
3.	अंचलाधिकारी, चौसा	अवकाश में।
4.	जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा	बैठक में भाग लेने हेतु पटना गये।
5.	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,मध्याह्न भोजन,मधेपुरा	बैठक में भाग लेने हेतु पटना गये।
6.	वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, मधेपुरा	अवकाश में।
7.	अवर निर्वाचन पदाधिकारी, मधेपुरा	अवकाश में।

प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछा जाए। साथ ही जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, मधेपुरा को प्रत्येक सोमवारीय बैठक में बुलाने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा को दिया गया।

(अनुपालन-प्रभारी पदा0, जिला गोपनीय शाखा)

कार्यवाही :-

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का बैठक में स्वागत किया गया। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

(3) राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्य तिथि (संकल्प) :-

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि समाहरणालय, मधेपुरा के परिसर में 10:30 बजे पूर्वा0 में आज दिनांक 30-01-2017 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्य तिथि के रूप में शपथ लेने संबंधी कार्यक्रम निर्धारित था, जिसमें सभी पदाधिकारी /कर्मी भाग लियें। बताया गया कि उक्त अवसर पर प्रत्येक विभागों /कार्यालयों के विभागाध्यक्ष एवं जनप्रतिनिधि (वार्ड मेम्बर तक) का अपने लोगों के समक्ष पढ़ा जाने वाला संदेश एवं लिए जाने वाले संकल्प प्रारूप के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गयी। बताया गया कि उक्त अवसर पर पाॅच बिन्दुओं पर शपथ लिया जाएगा तथा संक्षेप में बताया गया कि कुष्ठ रोग के लक्षण वाले व्यक्ति को नजदीकी प्रा0स्वा0 केन्द्र में जाने के लिए प्रेरित करने, ईलाज कराने में मदद करने, उसके साथ बैठने, खाने, घुमने, फिरने, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करने, उन्हें निःशुल्क चिकित्सा, सेवा, उपलब्ध कराने में उनकी भरपूर मदद करने, सरकार द्वारा उनको मिलने वाली पेंशन राशि इत्यादि दिलवाने में उनकी मदद

करने, पीड़ित व्यक्ति के साथ सामाजिक भेदभाव के रोकथाम के लिए सदा प्रयत्नशील करने तथा राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी के कुष्ठ मुक्त भारत के सपने को पुरा करने हेतु प्रयत्नशील रहने का अनुरोध किया गया।

(4) लोक शिकायत निवारण :-

अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मधेपुरा :- अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, मधेपुरा का समीक्षा निम्न प्रकार किया गया :-

➢ **मुरलीगंज** :- बताया गया कि भूहदबंदी से संबंधित मामला लंबित है। बिहार सरकार की जमीन है, जिसें टाईटल में जाना है, परन्तु संबंधित अधिसूचना उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य में विलम्ब हो रहा है। बताया गया कि वैसे मामलें, जो भूदान से संबंधित है, उसे लोक प्राधिकार के तहत् भूदान के मंत्री को प्राधिकार करने हेतु पत्राचार किया जाए।

➢ **मधेपुरा :-** बताया गया कि 08 मामला लंबित है। समीक्षा के क्रम में बताया गया कि अतिक्रमण वाद के यदि सरकारी जमीन उपलब्ध है, तो अविलम्ब हटाकर उसे शिफ्ट करें, अन्यथा जमीन की अनुपलब्धता होने पर लिखकर तुरंत भेजें। इसमें किसी भी प्रकार का अनावश्यक विलम्ब नहीं किया जाए, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।

(5) राजस्व :-

➢ **हटाये गये अतिक्रमणों की सूची** :- समीक्षा के क्रम में कार्यपालक दण्डाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज की खोज की गयी। परन्तु कार्यपालक दण्डाधिकारी, उदाकिशुनगंज अनुपस्थित पाये गये। अनुमण्डल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज द्वारा बताया गया कि कल दिनांक 29-01-2017 को प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी थी, परन्तु वे अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये। प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि कार्यपालक दण्डाधिकारी, उदाकिशुनगंज से स्पष्टीकरण पूछते हुए दिनांक 29 एवं 30 जनवरी, 2017 का वेतन स्थगित करने हेतु कोषागार पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज को पत्राचार करें।

➢ इसी क्रम में कार्यपालक दण्डाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा 248 अतिक्रमण को हटाने का कार्य किया गया है, जिससे संबंधित सूची उपलब्ध करा दी गयी है। जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक दण्डाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि जितना भी अतिक्रमण वाद के मामलों में अभिलेख खोला गया है, संबंधित अंचलाधिकारी से पूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त करें, तत्पश्चात् नियमानुसार संबंधित अभिलेख को बंद करें।

➢ समीक्षा के क्रम में बताया गया कि अतिक्रमण वाद में सनहा दर्ज करने में समस्या उत्पन्न होती है। निदेश दिया गया कि जिस थाना में सनहा दर्ज करने में आना-कानी करें, तत्संबंधी सूचना अविलम्ब लिख कर प्रेषित की जाए, ताकि नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

➢ **पायलट योजना** :- बताया गया कि सभी प्रकार के अभिलेख को डिजिटीलाईजेशन किया जाना है, जिसमें सभी प्रकार की सूचना यथा- जमीन का ब्यौरा, खाता, खेसरा, रकवा, चौहद्दी आदि की विवरणी अंकित किया जाएगा, से संबंधित सूचना अविलम्ब सभी अंचलाधिकारी को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

➢ **प्राथमिकी दर्ज** :- समीक्षा के क्रम में बताया गया कि अंचलाधिकारी, सिंहेश्वर द्वारा सूचित किया गया कि सिंहेश्वर थाना में प्राथमिकी दर्ज करने में संबंधित थानाध्यक्ष द्वारा बताया

जाता है कि प्राथमिकी नाम सहित दर्ज होगा, जिसमें नाम, पिता का नाम, पता एवं पदनाम की आवश्यकता है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्राथमिकी दर्ज करने में उक्त आशय की सूचना की आवश्यकता पड़ती है, अतएव अविलम्ब प्राथमिकी दर्ज करावें।

➢ **दखल देहानी** :- समीक्षा के क्रम में बताया गया कि मधेपुरा-122 तथा घैलाढ़ में 14 मामलें लंबित है। संबंधित अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि अविलम्ब निराकरण करें एवं अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करें।

➢ **आपदा /पेंशन संबंधी एडभाईस** :- समीक्षा के क्रम में बताया गया कि आलमनगर के अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सी0बी0आई0 आलमनगर, एस0बी0आई0 आलमनगर, यू0बी0जी0बी0 चौसा का एडभाईस संबंधित बैंक में लंबित है। इसी प्रकार सी0बी0आई0 शहजादपुर, एस0बी0आई0 बाराटेनी में पेंशन की राशि का एडभाईस लंबित है। जबकि सी0बी0आई0 मुरलीगंज में कोशी पुनर्वास का एडभाईस लंबित है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा -सह- नोडल पदाधिकारी, बैंकिंग, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि आगामी सोमवार को संबंधित सी0एस0सी0 को 05:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में बैठक हेतु अपने स्तर से पत्राचार करें तथा ससमय उपस्थित होने हेतु निदेशित करें।

➢ **राजस्व की वसूली :-** समीक्षा के क्रम में अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि मुरलीगंज, ग्वालपाड़ा, पुरैनी, बिहारीगंज, आलमनगर आदि अंचलों में राजस्व की वसूली संतोषजनक नहीं है। संबंधित अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि अधिक से अधिक राजस्व की वसूली सुनिश्चित करें। समीक्षा के क्रम में बताया गया कि पुरैनी अंचल से माननीय पूर्व मंत्री, श्री नरेन्द्र नारायण यादव द्वारा शिकायत की गयी है कि जमीन का रसीद काटने में चार गुणा राशि की मांग की जा रही है, जो खेद का विषय है। अंचलाधिकारी, पुरैनी को निदेश दिया गया कि इस तरह की शिकायत भविष्य में नहीं आये, इसे हरहाल में सुनिश्चित करें। साथ ही सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि राजस्व की वसूली में अपने स्तर से भी यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

➢ **कार्यालय का निरीक्षण :-** जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि विभागीय निदेश के आलोक में अंचल कार्यालयों का निरीक्षण नियमित रूप से किया जाना है तथा निरीक्षण प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी एवं विभाग को उपलब्ध कराया जाना है। संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि इसका अनुपालन दृढ़ता से सुनिश्चित करें।

(6) 7 निश्चय कार्यक्रम :-

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि 7 निश्चय के तहत् दिनांक 31-03-2017 तक लक्ष्य के अनुरूप कार्य पूर्ण किया जाना है। अतएव विभागवार निम्न प्रकार समीक्षा की गयी :-

(i) डी0आर0सी0सी0 :- जिलाधिकारी द्वारा डी0आर0सी0सी0 के मैनेजर की खोज की गयी, तो उपस्थित सहायक प्रबंधक, डी0आर0सी0सी0 द्वारा बताया गया कि वे ऑनलाईन सत्यापन के कार्य में व्यस्त हैं, जिसके कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो पाये हैं। समीक्षा के क्रम में बताया गया कि स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत् विगत चार महीने में 93 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 70 सही पाया गया तथा 43 आवेदन स्वीकृत हुआ, जबकि शेष आवेदन का कागजात सही नहीं रहने के कारण अस्वीकृत किया गया, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा काफी अप्रसन्नता व्यक्त की गयी एवं जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा से पृच्छा की गयी कि स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए कैम्प का आयोजन क्यों नहीं किया जा रहा है, तो इस संबंध में संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका।

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि इंजिनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, +2 कॉलेज, सभी छात्रावास (सरकारी /निजी) आदि में नियमित रूप से कैम्प लगाने के पश्चात् आवेदनों की संख्या बढ़ सकती है, परन्तु इस ओर कोई अभिरूचि नहीं ली जा रही है। जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि डी0आर0सी0सी0 अन्तर्गत जितने भी कर्मी हैं, उन सभी का सेक्टरवार कार्य तालिका आवंटित करने हेतु आदेश पत्र निर्गत करें तथा उसी अनुरूप कार्य करावें।

(ii) पी0एच0ई0डी0 :- समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष में दिनांक 31-03-2017 तक कुल 34,720 का लक्ष्य निर्धारित है। जिलाधिकारी द्वारा पृच्छा की गयी कि इस हेतु क्या योजना तैयार की गयी है, जिस प्रकार पानी सप्लाई किया जाना है, कनेक्शन देने की क्या योजना है, पानी टंकी का क्या क्षमता है, तो इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गयी। निदेश दिया गया कि अपने स्तर से उक्त कार्यो की समीक्षा करें तथा 04:30 बजे अप0 में सभी संबंधितों के साथ अधोहस्ताक्षरी को वस्तुस्थिति से अवगत करावें।

(iii) नगर परिषद्, मधेपुरा :- समीक्षा के क्रम में बताया गया कि मॉडल स्टीमेट प्राप्त हो चुका है। कनीय अभियंता की कमी के कारण कार्यो में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। यह भी निदेश दिया गया कि निविदा प्रकाशन करने हेतु शीघ्र ही कार्रवाई नियमानुसार सुनिश्चित करें।

(iv) नगर पंचायत, मुरलीगंज :- समीक्षा के क्रम में बताया गया कि 15 वार्ड हेतु निविदा भेज दिया गया है।

(v) नली-गली (पंचायत) :- समीक्षा के क्रम में बताया गया कि 14वीं एवं 05वीं योजना की मद में राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(vi) गली-नली योजना (नगर परिषद्, मधेपुरा) :- समीक्षा के क्रम में बताया गया कि कुछ वार्ड में काम चल रहा है, जबकि कुछ वार्ड में नाली एवं सड़क दोनों के साथ रहने के कारण कार्य अवरूद्ध है। बताया गया कि नीचे नाली एवं उपर सड़क बनावें।

(vii) गली-नली (नगर पंचायत, मुरलीगंज) :- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज से नली-गली योजना की पृच्छा की गयी एवं निदेश दिया गया कि कार्य मानक के अनुरूप एवं गुणवत्तापूर्ण करावें। कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं अनियमितता को गंभीरता से लिया जाएगा। अतएव कार्य सही ढ़ंग से हो, इसे हरहाल में सुनिश्चित करावें, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

(viii) बी0एम0एस0आई0सी0एल0 :- बैठक में उपस्थित बी0एम0एस0आई0सी0एल0 के प्रतिनिधि से पृच्छा की गयी कि मेडिकल कॉलेज, ए0एन0एम0, जी0एन0एम0, बी0एस0सी0 नर्सिंग, पारा मेडिकल के कार्यो की क्या प्रगति है, तो उनके द्वारा इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी जा सकी। बताया गया कि उक्त कार्यो का अनुश्रवण /पर्यवेक्षण श्री धर्मेन्द्र कुमार, कनीय अभियंता, बी0एम0एस0आई0सी0एल0 के द्वारा किया जाता है। साथ ही वे कोशी क्षेत्र के अन्य जिला के कार्यो को भी देखते हैं तथा अभी वे पटना गये हुए हैं। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि श्री धर्मेन्द्र कुमार प्रायः इस जिला से अनुपस्थित रहते हैं, जिस कारण कार्यो की समीक्षा सही ढ़ंग से नहीं हो पाती है, अतएव प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि विभाग से एक अतिरिक्त कनीय अभियंता के पदस्थापन हेतु पत्राचार करें।

(ix) आई0टी0आई0 कॉलेज :- समीक्षा के क्रम में अंचलाधिकारी, सिंहेश्वर द्वारा बताया गया कि थानाध्यक्ष, सिंहेश्वर द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने में समस्या उत्पन्न की जा रही है, जबकि उनके द्वारा नाम के हिसाब से प्राथमिकी दर्ज करने हेतु कहा जा रहा है। निदेश दिया गया कि नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज करावें।

(xi) स्वच्छ भारत मिशन :- जिलाधिकारी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का विस्तार से समीक्षा किया गया, स्थिति निम्नवत् पायी गयी।

बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष में कुल 25 पंचायत अन्तर्गत कुल-298 वार्ड में 45,495 परिवारों को शौचालय बनाने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें 3,863 प्रगति हुआ है तथा 14 वार्ड अभी तक ओ0डी0एफ0 हो गया है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि ओ0डी0एफ0 घोषित करने के पूर्व एक नोटिस निर्गत करें, जिसमें 15 दिन के अंदर अपना-अपना आपत्ति प्रखण्ड कार्यालय में दर्ज करने हेतु संसूचित करें, यदि कोई भी आपत्ति नहीं आता है, तो उसे निस्तारित करते हुए अभिलेख के माध्यम से आदेश निर्गत करें कि सभी ओ0डी0एफ0 हो गया है तथा एक भी आपत्ति नहीं आया है, अतएव नियमानुसार भुगतान किया जा सकता है।

बताया गया कि पूरे बिहार में ओ0डी0एफ0 259 पंचायत घोषित है, जिसमें मात्र 6 पंचायत के पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए ओ0डी0एफ0 घोष्ित किया गया। जिलाधिकारी द्वारा प्रखण्डवार समीक्षा की गयी :-

1-आलमनगर :- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि खुरहान के वार्ड नं0-06 में बैंक द्वारा भुगतान में समस्या उत्पन्न किया जा रहा है, जबकि के0वाई0सी0 की मांग की जा रही है। बताया गया कि कुल-12 वार्ड हैं, जिसमें 6 वार्ड कल दिनांक 31-01-2017 को ओ0डी0एफ0 घोषित हो जाएगा।

2-बिहारीगंज :- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि बिहारीगंज में राजगंज पंचायत में कुल 13 वार्ड में 01 तथा पंचायत कुश्थन के कुल 09 वार्ड में से 01 वार्ड ओ0डी0एफ0 घोषित हो गया है, जबकि राजगंज में 5 एवं 6 तथा कुश्थन के वार्ड नं0-04 आगामी सप्ताह में ओ0डी0एफ0 घोषित हो जाएगा।

3-चौसा :- बताया गया कि पंचायत चौसा पश्चिमी में 12 तथा घोषई पंचायत में 11 वार्ड हैं, जिसमें 10 दिन के अंदर वार्ड नं0-7 एवं 08 में ओ0डी0एफ0 घोषित हो जाएगा।

4-गम्हरिया :- बताया गया कि बभनी पंचायत में कुल-14 वार्ड में से 02 वार्ड ओ0डी0एफ0 घोषित हो गया है, जबकि कोरिहार तरावे पंचायत में कुल-12 वार्ड है। बताया गया कि बभनी के वार्ड नं0-12, 13 में इस सप्ताह ओ0डी0एफ0 घोषित हो जाएगा।

5-घैलाढ़ :- बताया गया कि घैलाढ़ प्रखण्ड के झिटकिया पंचायत में कुल-12 तथा भान टेकठी पंचायत में कुल-9 वार्ड है। झिटकिया पंचायत के वार्ड नं0-06 में काम शुरू हो गया है।

6-ग्वालपाड़ा :- बताया गया कि रेशना पंचायत अन्तर्गत-13 तथा खोखसी पंचायत अन्तर्गत कुल-13 वार्ड हैं, जिसमें रेशना के वार्ड नं0-02 एवं 13 में इस सप्ताह में कार्य पूर्ण हो जाएगा, जिसे ओ0डी0एफ0 घोषित कर दिया जाएगा।

7-कुमारखण्ड :- बताया गया कि कुमारखण्ड पंचायत में-14 तथा सिंहपुर गढ़िया पंचायत में-14 वार्ड है, जिसे ओ0डी0एफ0 घोषित करना है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस सप्ताह में सिंहपुर गढ़िया पंचायत के वार्ड नं0-10 एवं 12 में कार्य पूर्ण हो जाएगा, तत्पश्चात् ओ0डी0एफ0 घोषित किया जाएगा।

8-मधेपुरा :- बताया गया कि बालम गढ़िया पंचायत में संबंधित मुखिया के द्वारा अभिरूचि नहीं लेने के कारण उक्त कार्य पैक्स अध्यक्ष को सौंपा गया है, जिसके द्वारा कार्य कराया जा रहा है। बताया गया कि बालम गढ़िया में-14 है, जिसमें 04 वार्ड ओ0डी0एफ0 हो गया है, जबकि इस सप्ताह में वार्ड नं0-13 एवं 14 में ओ0डी0एफ0 हो जाएगा। इसी प्रकार सुखासन पंचायत में-12 वार्ड है, जिसमें 06 वार्ड ओ0डी0एफ0 हो गया है तथा वार्ड नं0-04 इस सप्ताह में ओ0डी0एफ0 हो जाएगा।

9-मुरलीगंज :- बताया गया कि बेलो पंचायत में-10 वार्ड के किसी भी वार्ड में कार्य शुरू नहीं हुआ है। जबकि रघुनाथपुर पंचायत में-11 वार्ड है तथा इस सप्ताह में 02 वार्ड यथा- वार्ड नं0-3 एवं 08 ओ0डी0एफ0 हो जाएगा।

10-पुरैनी :- बताया गया कि दुर्गापुर पंचायत में कुल-7 वार्ड हैं, जिसमें वार्ड नं0-2 एवं 05 में काम शुरू हो गया है। जबकि पूर्व में वंशगोपाल पंचायत को लिया गया था तथा मुखिया के द्वारा कार्य में अभिरूचि नहीं लेने के कारण उक्त पंचायत को बदला गया है। बताया गया कि दुर्गापुर पंचायत में आगामी सप्ताह में वार्ड नं0-02 ओ0डी0एफ0 हो जाएगा।

11-शंकरपुर :- बताया गया कि गिद्धा में कुल-12 वार्ड है, जिसमें वार्ड नं0-7, 8 एवं 9 में काम चल रहा है। जबकि मौरा कबियाही में 15 वार्ड हैं, जिसमें काम चल रहा है, 10 दिनों के अंदर कार्य हो जाएगा।

12-सिंहेश्वर :- बताया गया कि सुखासन पंचायत में-12 वार्ड है, जिसमें वार्ड नं0-9, 10, 6, 12 एवं 10 में काम चल रहा है। जबकि भवानीपुर पंचायत में कुल-07 वार्ड है, जिसमें वार्ड नं0-03 एवं 06 में काम शुरू हुआ है, जो 15 दिनों के अंदर पूर्ण हो जाएगा।

13-उदाकिशुनगंज :- बताया गया कि किशुनगंज पंचायत में कुल-14 वार्ड हैं, जिसमें वार्ड नं0-04 में काम शुरू हुआ है, जबकि लक्ष्मीपुर पंचायत में कुल-13 वार्ड हैं, जिसमें वार्ड नं0-02 में काम शुरू हुआ है।

सभी संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि उक्त योजनाओं का पर्यवेक्षण /अनुश्रवण व्यक्तिगत अभिरूचि लेकर अपने स्तर से नियमित रूप से करें, ताकि योजनाओं का क्रियान्वयन ससमय हो सके।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि वार्ड नं0-17 एवं 19 में काम शुरू है, शीघ्र ही ओ0डी0एफ0 हो जाएगा। निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर ओ0डी0एफ0 घोषित करें, सभी वार्ड सदस्य से लिखा कर लें।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज द्वारा बताया गया कि 02 वार्ड हैं, जिसमें ओ0डी0एफ0 का कार्य चल रहा है। निदेश दिया गया कि नोटिस निर्गत करें तथा सभी जगह सटवा लें। बताया गया कि वार्ड नं0-09 एवं 07 वार्ड के ओ0डी0एफ0 का घोषणा आगामी सोमवार तक हो जाएगा।

समीक्षा के क्रम में जिला समन्वयक, स्वच्छ भारत मिशन, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि आगामी वित्तीय वर्ष में 52 पंचायत को चयन किया जाना है। सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि अविलम्ब अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(7) ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा :-

एम0एम0जी0एस0वाई0 :- जिलाधिकारी द्वारा पृच्छा की गयी कि पी0एम0जी0एस0वाई0 की क्या स्थिति है, तो इस संबंध में बताया गया कि कुल-85 सड़क में से 32 सड़क पूर्ण हो गया है। दिनांक 31-03-2017 तक 10 और सड़क पूर्ण हो जाएगा, जबकि 22 नया सड़क स्वीकृत हुआ है। निदेश दिया गया कि ससमय सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण करावें। यह भी निदेश दिया गया कि तीन दिनों के अंदर निम्नांकित प्रपत्र में प्रतिवेदन समर्पित करें :-

क्र0	प्रखण्ड का नाम	तिथि (कार्य समाप्ति का समय)	संबंधित सड़क का ब्यौरा	कार्य करने वाले एजेंसी /संवेदक	प्राक्कलित राशि	स्वीकृत राशि	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08

इसके अतिरिक्त पुल की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि दो बड़ा पुल है, जिसमें तकनीकी कमी के कारण कार्य में समस्या उत्पन्न हो रही है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब निराकरण कराते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करें।

समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, राघोपुर द्वारा बताया गया कि प्रायः कार्यपालक अभियंता द्वारा पुल /सड़क के निर्माण में संबंधित सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिए बगैर ही निर्माण कार्य प्रारंभ कर देते हैं, जो नियमानुकूल नहीं है। जिलाधिकारी द्वारा संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि इसका अनुपालन सुनिश्चित करावें तथा एन0ओ0सी0 प्राप्त कर ही नियमानुसार कार्य करें।

समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा से वर्ल्ड बैंक से निर्मित सड़क की समीक्षा की गयी एवं कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि उक्त सड़क की सूची अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा को अविलम्ब उपलब्ध करावें। अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि उक्त सड़क की स्वयं स्थलीय जांच कर वस्तुस्थिति से अवगत करायी जाए।

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि ऐसी शिकायत प्राप्त हुई कि एन0एच0 106 से विधिया ग्रामीण टोला तक जो रोड बन रहा है, वह घटिया किस्म का बन रहा है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, घैलाढ़ को निदेश दिया गया कि उक्त रोड की जांच कर जांच प्रतिवेदन समर्पित करें।

समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि माननीय सांसद (राज्य सभा) श्री शरद यादव द्वारा अनुशंसित योजना मद की राशि को जिला योजना पदाधिकारी, सहरसा से समन्वय स्थापित कर योजनावार आवश्यकतानुसार राशि विमुक्त करें।

(8) ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, उदाकिशुनगंज :-

पी0एम0जी0एस0वाई0 :- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, उदाकिशुनगंज द्वारा बताया गया कि पी0एम0जी0एस0वाई0 के तहत् कुल-72 सड़क में से 46 सड़क पूर्ण हो गया है, जबकि 26 सड़क पर कार्य चल रहा है। सभी सड़क के पूर्ण का समय-सीमा मार्च, 2017 के बाद तक का है। निदेश दिया गया कि निम्नांकित प्रपत्र में प्रतिवेदन समर्पित करेंगे :-

क्र0	प्रखण्ड का नाम	तिथि (कार्य समाप्ति का समय)	संबंधित सड़क का ब्यौरा	कार्य करने वाले एजेंसी /संवेदक	प्राक्कलित राशि	स्वीकृत राशि	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08

<u>एम0एम0जी0एस0वाई0</u> :- बताया गया कि 89 सड़क में 66 पूर्ण हो गया है। 23 इसी साल में पूर्ण हो जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा पृच्छा की गयी कि 23 सड़क में नया एवं पुराना कितना है, तो इस संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा सकी। निदेश दिया गया कि वांछित प्रतिवेदन उक्त प्रपत्र में समर्पित करें।

बताया गया कि 2 बड़ा पुल यथा- एक आलमनगर के फुलौत में तथा चौसा में निर्माण कार्य प्रारंभ है। संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अपने स्तर से भी उक्त पुल का निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित करें।

(9) <u>सांख्यिकी</u> :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि मात्र 04 प्रखण्ड से ही कृषि गणना संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। बताया गया कि चौसा, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा, गम्हरिया, शंकरपुर, मुरलीगंज, आलमनगर से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। संबंधित अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि अविलम्ब वांछित प्रतिवेदन समर्पित करें।

(10) <u>पथ प्रमण्डल, मधेपुरा</u> :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि योगीराज सड़क में निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें मिट्टी भराई का कार्य हो रहा है। निदेश दिया गया कि ससमय कार्य पूर्ण करावें।

(11) <u>एन0एच0</u> :-

समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता, एन0एच0 को निदेश दिया गया कि एन0एच0 सड़क में कई जगहों पर गड्ढा बना हुआ है, जिसकी मरम्मति नियमानुसार किया जाना आवश्यक है। यह भी निदेश दिया गया कि उक्त मरम्मति कार्य का नियमानुसार विडियोग्राफी करायी जाए।

(12) <u>विद्युत</u> :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत् बी0पी0एल0 परिवारों को कनेक्शन दिया जा रहा है। इस सप्ताह में 508 बी0पी0एल0 परिवारों को कनेक्शन दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि दिनांक 31-03-2017 तक निर्धारित लक्ष्य के अनुरुप शत-प्रतिशत बी0पी0एल0 परिवारों को विद्युत कनेक्शन दिये जाने का कार्य पूर्ण करावें। यह भी निदेश दिया गया कि उक्त कार्य में संलग्न एजेंसी को दिनांक 30-01-2017 को 04:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष बुलायी जाए, ताकि इसकी समीक्षा अलग से की जा सके।

यह भी बताया गया कि 214 गांव में विद्युत कनेक्शन का कार्य पूर्ण हो गया है। कार्यपालक अभियंता, विद्युत परियोजना द्वारा बताया गया कि 08 प्रखण्ड में विद्युत कनेक्शन का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण हो गया है। जबकि पुरैनी में 01 गांव, कुमारखण्ड में 04 गांव, चौसा में 08 गांव, मुरलीगंज में 02 गांव, बिहारीगंज में 01 गांव, शंकरपुर में 04 गांव में विद्युत कनेक्शन का कार्य बचा हुआ है। उनके द्वारा बताया गया कि आगामी सोमवार तक बिहारीगंज एवं मुरलीगंज में विद्युत कनेक्शन का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण हो जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि यदि एक प्रखण्ड पूर्ण हो जाता है, तो वहां पर लोगों को जागरुक कर के जानकारी देने हेतु

कार्यक्रम कर लिया जाए, ताकि लोगों को यह जानकारी हो सके कि इस प्रखण्ड में कोई भी गांव विद्युत कनेक्शन हेतु बांकी नहीं है।

(13) विद्युत आपूर्ति :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि ऑन स्पोर्ट बिलिंग का मशीन 63 क्रय हो चुका है, जबकि कुछ फ्रेंचाईजी द्वारा अभी तक क्रय नहीं किया गया है। निदेश दिया गया कि वैसे कर्मी जो उक्त मशीन नहीं खरीद की हो, उसे स्मारित करते हुए उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। यह भी निदेश दिया गया कि आगामी सप्ताह में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित विडियो कॉन्फ्रेंस के पूर्व 100 प्रतिशत उक्त मशीन ~~का नियमानुसार क्रय कर~~ सभी को आपूर्ति हो जाए एवं कार्य संचालन हो, इसे हरहाल में सुनिश्चित कराने का निदेश कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा को दिया गया।

(14) कृषि :-

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि समाचार पत्र में खाद बिक्री में ज्यादा राशि वसूलने हेतु खबर प्रकाशित की गयी थी। इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है, तो जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि उक्त संबंधित प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी को जांच हेतु निदेशित किया गया है, परन्तु जांच प्रतिवेदन अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा काफी खेद प्रकट किया गया। निदेश दिया गया कि इस तरह के मामले यदि प्रकाश में आते हैं, तो छापामारी कराते हुए जांच प्रतिवेदन 24 घंटा के अंदर समर्पित करें।

(15) अल्पसंख्यक कल्याण :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार दिनांक 01-02-2017 को मधेपुरा आ रहे हैं, जो अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय का उद्घाटन एवं अन्य कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि सभी प्रकार के आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करें। यह भी निदेश दिया गया कि छात्रवृति एवं प्रोत्साहन राशि का नियमानुसार शीघ्र वितरण करावें।

(16) सहकारिता :-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा अन्य कार्य हेतु बाहर गये हुए हैं, अतएव इसकी समीक्षा दिनांक 31-01-2017 को कृषि टास्क फोर्स की बैठक में करने का निर्णय लिया गया एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी को उक्त बैठक में भाग लेने हेतु अपने स्तर से संसूचित करें।

(17) पुल निर्माण निगम :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि भागलपुरिया पुल में समस्या उत्पन्न हो रही है। अंचलाधिकारी, मधेपुरा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा एवं अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि अविलम्ब इस संबंध में नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें एवं अनुपालन से आगामी सोमवारीय बैठक में अवगत करावें।

कार्यपालक अभियंता द्वारा यह भी बताया गया कि आलमनगर के खावन दियरा में मिट्टी डालने में समस्या उत्पन्न हो रही है। अचंलाधिकारी, आलमनगर को निदेश दिया गया कि अविलम्ब इसका निराकरण कर अनुपालन से अवगत करावें।

(18) एस0एच0- 91 :-

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि अभिलेख लगाकर पत्राचार अविलम्ब करें एवं अनुपालन से अवगत करावें।

(19) शिक्षा :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन, मधेपुरा पटना गये हुए हैं। अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि विगत सप्ताह में निजी विद्यालय के संस्थापकों द्वारा श्री कुन्दन कुमार, सर्वशिक्षा सम्भाग, मधेपुरा, दैनिक वेतनभोगी कर्मी द्वारा काफी अनियमितता बरतने संबंधी आवेदन पत्र समर्पित किया गया था, जिसके आलोक में अविलम्ब कार्रवाई करने का निदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा /साक्षरता को दिया गया था, परन्तु अनुपालन प्रतिवेदन अभी तक समर्पित नहीं किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा निदेश गया कि अविलम्ब कार्रवाई करते हुए आगामी सोमवारीय बैठक में संसूचित करें अन्यथा संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

(20) चल-अचल सम्पत्ति :-

आई0टी0 मैनेजर, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि सभी संबंधित पदाधिकारियों का चल-अचल सम्पत्ति का ब्यौरा रजिस्ट्रेशनोपरान्त जमा किया जाना, परन्तु अभी तक जमा नहीं किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा सभी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि अविलम्ब अपने-अपने कार्यालय के अधीन कर्मियों का उक्त कागजात जमा करावें, अन्यथा माह फरवरी, 2017 का वेतन स्थगित रहेगा। साथ ही आई0टी0 मैनेजर, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि जिस-जिस कार्यालय /पदाधिकारी के द्वारा उक्त कागजात जमा करा दिया जाता है, तो उसकी सूची कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को प्रतिदिन भेंजे। कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि तब तक वैसे निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों का माह फरवरी, 2017 का वेतन स्थगित रहेगा, जब तक कि आई0टी0 मैनेजर, मधेपुरा द्वारा उक्त आशय का सूचना प्रेषित नहीं किया जाए कि संबंधित पदाधिकारी एवं उनके अधीनस्थ कर्मी द्वारा चल-अचल सम्पत्ति का ब्यौरा उनके कार्यालय में जमा करा दिया गया है।

(21) आधार कार्ड :-

जिलाधिकारी द्वारा जिले में बनाये जा रहे आधार कार्ड एजेंसी के कार्यो की समीक्षा की गयी। आधार कार्ड बनाने वाले समन्वयक, जिसका मोबाईल नं0-9570610071 है, उनके द्वारा बताया गया कि सभी 13 प्रखण्डों में एजेंसी के द्वारा आधार कार्ड बनाने का कार्य किया जा रहा है, परन्तु कुछ जगह बैठने एवं जेनरेटर की समस्या उत्पन्न हो रही है। सभी संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के स्तर पर समीक्षा बैठक आयोजित कर स्कूल के बच्चों, आंगनवाड़ी सेविका /सहायिका के बच्चों आदि का आधार कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें। आधार कार्ड बनाने वाले एजेंसी द्वारा बताया गया कि प्रतिदिन 150 आधार कार्ड बनाया जा सकता है। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि निम्नांकित विहित प्रपत्र में आधार कार्ड बनाने का साप्ताहिक प्रतिवेदन प्रत्येक शनिवार के अपराह्न 05:00 बजे तक जिला गोपनीय शाखा में ई-मेल, फैक्स /वाट्सएप के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें :-

क्र0	प्रखण्ड का नाम	एजेंसी का नाम, मोबाईल नं0, पता	आधार कार्ड की स्थिति		
			विगत सप्ताह में बनाये गये आधार कार्ड की सं0	इस सप्ताह में बनाये गये आधार कार्ड की सं0	कुल आधार कार्ड की सं0
01	मधेपुरा				
02	सिंहेश्वर				
03	शंकरपुर				
04	गम्हरिया				
05	घैलाढ़				
06	कुमारखण्ड				
07	मुरलीगंज				
08	ग्वालपाड़ा				
09	उदाकिशुनगंज				
10	चौसा				
11	पुरैनी				
12	आलमनगर				
13	बिहारीगंज				
कुल योग –					

(22) **अन्यान्य :–**

(1) राशन कार्ड :– जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि राशन कार्ड में पाये गये त्रुटियों का अविलम्ब जांच कराते हुए निराकरण कर अनुपालन से अवगत करावें। यह भी निदेश दिया गया कि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं का आदेश डीलरवार निर्गत किया जाए।

(2) विद्युत बिल की राशि :– जिलाधिकारी द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि जिस–जिस कार्यालय में विद्युत बिल का भुगतान किया जाना है, वे राशि हेतु अविलम्ब विभाग से अधियाचना कर विद्युत बिल की राशि विद्युत कार्यालय, मधेपुरा में ससमय जमा करावें।

(3) आई0सी0डी0एस0 :– जिलाधिकारी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा से पृच्छा की गयी कि बचे हुए सेविका /सहायिका की बहाली हेतु पुनः आमसभा की तिथि निर्धारित करने संबंधी संचिका अभी तक क्यों नहीं उपस्थापित की गयी, तो इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी जा सकी। निदेश दिया गया कि दो दिनों के अंदर संबंधित संचिका उपस्थापित करें।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

01/02/17
निजी सहायक,
जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।

प्रभारी पदाधिकारी
जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।

जिलाधिकारी
मधेपुरा।

Khalid 01/02/17

ज्ञापांक........244........./गो0, मधेपुरा, दिनांक.......01/02/17.......

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /सिविल सर्जन, मधेपुरा/ जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा /डी0पी0एम0, जीविका, मधेपुरा /जिला शिक्षा पदाधिकारी /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा अभियान, मधेपुरा /जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा /सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा /श्रम अधीक्षक, मधेपुरा /डी0आई0ओ0, मधेपुरा /सहायक नियंत्रक, माप एवं तौल, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, एम0डी0एम0, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, डूडा, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा /जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, एन0एच0 प्रमण्डल, मधेपुरा /प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, मधेपुरा /कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा /नगर पंचायत, मुरलीगंज /जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, मुरलीगंज /त्रिवेणीगंज /राघोपुर एवं लघु जल संसाधन, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /कार्यपालक अभियंता, पुल निर्माण निगम, मधेपुरा /सहरसा /जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा /आई0टी0 मैनेजर, मधेपुरा /सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/02/2017
निजी सहायक,
जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।
01/02/17

प्रभारी पदाधिकारी
जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।

जिलाधिकारी
मधेपुरा।